UGC APPROVED
CARE LISTED JOURNAL

ISSN 2229-3620

GOVT. OF INDIA RNI NO. - UPBIL/2015/62096

SID

शोध संचार बुलेटिन

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY QUARTERLY BILINGUAL
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

★ Vol. 10 ★ Issue 39 ★ July to September 2020

Editor in Chief

Dr. Vinay Kumar Sharma

D.Litt. - Gold Medalist

sanchar
Educational & Research Foundation

UGC APPROVED
CARE LISTED JOURNAL

ISSN - 2229 - 3620

GOVT. OF INDIA RNI NO. - UPBIL/2015/62096

SHODH SANCHAR BULLETIN

JOURNAL OF ARTS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY QUARTERLY BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

Ref. No. : SSB/2020/SID52

Date : 24-09-2020

Certificate of Publication

गोपाल सिंह गौनिया
शोध छात्र
समाजशास्त्र
एम.बी. राजकीय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, हल्द्वानी

TITLE OF RESEARCH PAPER

अनुसूचित जातियाँ एवं संवैधानिक उपबन्ध-एक अध्ययन

This is certified that your research paper has been published in
Shodh Sanchar Bulletin, Volume 10, Issue 39, July to September 2020

Editor in Chief
SHODH SANCHAR BULLETIN
BILINGUAL INTERNATIONAL
RESEARCH JOURNAL, LUCKNOW

CHIEF EDITORIAL OFFICE

• 448 /119/76, KALYANPURI THAKURGANJ, CHOWK, LUCKNOW -226003 U.P.
Cell.: 09415578129, 07905190645
E-mail : serfoundation123@gmail.com
Website : http://seresearchfoundation.in | http://seresearchfoundation.in/shodhsancharbulletin/

CONTENTS

S. No.	Topic		Page No.
1.	आज का भारत और तुलसी का समाज–दर्शन	डॉ0 अनिल कुमार राय	1
2.	शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य और सूचना तकनीकी की प्रासंगिकता	डॉ0 अर्चना त्रिपाठी	5
3.	'आंचलिकता की चासनी में क्रांति बीज बलचनमा'	डॉ0 संजय प्रसाद	8
4.	डॉक्टर अंबेडकर एवं दलित चेतना	डॉ0 विकास सिंह	11
5.	भारतीय समाज पर सामाजिक मीडीया का प्रभाव	डॉ0 श्रीमती हेमलता बोरकर वासनिक	14
6.	स्त्री अस्मिता का चिंतन और मीरा की जागरूकता	डॉ. फिरोजा जाफ़र अली श्रीमती मीनाक्षी रॉय	21
7.	दिल्ली सल्तनतकालीन मेरठ के पुरातात्विक स्थल	मुकेश चौधरी अंशु त्यागी	24
8.	कोरोनाकाल में सोशल मीडिया और फेक न्यूज : एक अध्ययन	डॉ0 प्रशांत कुमार राय	28
9.	आपातकालीन हिंदी–काव्य में व्यंग्य–बोध	डॉ0 अशोक कुमार ज्योति	32
10.	निशांतकेतु की कहानियों में दांपत्व–विघटन में नारी की भूमिका	डॉ0 शीला देवी	36
11.	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में प्रदत अनुतोष एवं क्रियान्वयन	डॉ. अनिला डॉ. लाला राम जाट	39
12.	चलिष्णुता एवं गतिशीलता घृणा–जनित अपराधों के कारण छिन्न भिन्न होता एक मानव अधिकार	रुद्रांशु सिंह	45
13.	गांधीवादी अर्थशास्त्र	डॉ0 श्याम कुमारी दूबे	50
14.	प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक–शिक्षिकाओं के कृत्य संतोष एवं वैज्ञानिक अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन	योगेश कुमार पाल डॉ0 राजेश पालीवाल	55
15.	साहित्य, समीक्षा और पत्रकारिता	मनीष तोमर	60
16.	कक्षा 9 वीं के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर परम्परागत शिक्षण की प्रभावशीलता का अध्ययन	पिंकी मंसूरी डॉ0 जयदीप महार	64
17.	महेंद्र भीष्म के 'किन्नर कथा' उपन्यास में किन्नर संवेदना	डॉ. (श्रीमती) सविता मिश्रा अन्तिमा गुप्ता	69
18.	वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) एवं इसका व्यापारियों पर प्रभाव	प्रगति पाण्डेय	72
19.	गांधी और सत्याग्रह	डॉ0 अजय पाल सिंह	76
20.	सन् 1857 की क्रांति के संदर्भ में सीतापुर के महानायकों का योगदान : एक ऐतिहासिक विवेचन	डॉ0 सुरेन्द्र कुमार दीक्षित	79

21.	जीवन्मुक्ति के लिए रसाराधना का महत्व	डॉ0 ममता कुमारी डॉ0 शम्भू कान्त झा	83
22.	मणिमञ्जरी नाटिका की नाट्यशास्त्रीय समीक्षा	डॉ0 शम्भू कान्त झा डॉ0 ममता कुमारी	86
23.	साहित्यशास्त्रीय रस की दार्शनिक मिमांसा	डॉ0 शम्भू कान्त झा डॉ0 ममता कुमारी	89
24.	खाद्य आडम्बर का महिला स्वास्थ्य पर प्रभाव एक अध्ययन।	खुशबू कुमारी	93
25.	भूमण्डलीकरण एवं बाजारवाद : एक दृष्टिकोण	मीनाक्षी सिंह	98
26.	मनरेगा एवं दलित महिलाओं को रोजगार : प्रावधान एवं वास्तविकता उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज का एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण	डॉ0 पवन कुमार मिश्र	102
27.	भारतीय समाज में आरक्षण एक समस्या	डॉ0 नेहा कुमारी	107
28.	स्त्री विमर्ष : एक नई चेतना	डॉ0 आभा लता चौधरी	110
29.	डॉक्टर अंबेडकर एवं दलित चेतना	डॉ0 विकास सिंह	113
30.	भारत में महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराध के कारण एवं निवारण का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन	रमेश चन्द्र प्रजापति	116
31.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सामाजिक–आर्थिक विकास पर प्रभाव : राजगढ़ ब्लॉक –जिला चुरू, राजस्थान का एक भौगोलिक अध्ययन	अरविन्द कुमार जाखड़ प्रो. साधना कोठारी	121
32.	दलित महिला एंव शैक्षिक गतिशीलता : प्रयागराज के सन्दर्भ में	प्रमोद कुमार निशी यादव	129
33.	शोध और समीक्षा	डॉ0 सुमन कुमारी	134
34.	उषा प्रियंवदा के उपन्यास साहित्य में पारिवारिक विघटन के संदर्भ में	मंजू भट्ट डॉ0 श्रद्धा हिरकने	136
35.	''कथाकार रमेश पोखरियाल 'निशंक' के कथा–साहित्य में लोकतत्त्व''	कपिल देव पँवार	139
36.	पर्यावरण संरक्षण में लोक देवताओं का योगदान	अजीतराम चौधरी	143
37.	वर्तमान कश्मीर में हिंसा और अलगाववाद की बढ़ती समस्या	डॉ0 अनिल कुमारी मोना यादव	146
38.	हिन्दु–मुस्लिम विवाह की तुलनात्मक समीक्षा	गोदावरी कुमारी	150
39.	मध्यान्ह भोजन योजना का उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रभाव (जनपद–प्रतापगढ़ 'उ0प्र0' के परिषदीय विद्यालयों के विशेष सन्दर्भ में)	उमेश कुमार तिवारी डॉ0 रीता सिंह	153
40.	उत्तरवर्ती हिन्दी आलोचना और पाश्चात्य समीक्षा सिद्धान्त	डॉ0 आरती मिश्रा	159
41.	गीता का समत्वयोग – एक विमर्श	सुशील कुमार	163

42.	''उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कला व विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का अध्ययन।''	डॉ. लता वैष्णव नरेन्द्र शंकर शर्मा	167
43.	वैश्विक पर्यावरणीय समस्या व समाधान : मानस के परिप्रेक्ष्य में	रानी सिंह	172
44.	मराठी दलित आत्मकथाओं में नारी चित्रण	राकेश कुमार यादव	176
45.	मार्कण्डेय की कहानी 'हलयोग' में चित्रित सामाजिक भेदभाव	अनूप कुमार पटेल	179
46.	भारतेन्दुयुगीन नाटकों में साम्प्रदायिकता और समभाव–चित्रण	कुसुम वर्मा	183
47.	रामशरण जोशी की पत्रकारिता में हाशिए का समाज	प्रीति देवी	186
48.	मुक्तिबोध के साहित्य में ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान की भूमिका	सुनील कुमार मिश्रा	190
49.	परसाई का व्यंग्य और सामयिक परिदृश्य	पूनम	193
50.	बुद्धकालीन नगरों के विकास के कारण	डॉ0 रमा शरण मिश्र	197
51.	''क्रियात्मक संगीत में नवीन नामकरण की अवधारणा 'शास्त्रीय संगीत'''	अनादि मिश्रा	201
52.	गाँधी के दर्शन में सत्याग्रह एवम् धर्म की अवधारणा	डॉ0 श्रवण कुमार मोदी	205
53.	अनुसूचित जातियाँ एवं संवैधानिक उपबन्ध–एक अध्ययन	गोपाल सिंह गौनिया	209

ISSN - 2229-3620
APPROVED UGC CARE
SID

SHODH SANCHAR BULLETIN
Vol. 10, Issue 39, July-September 2020
Page Nos. 209-212

AN INTERNATIONAL BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

अनुसूचित जातियाँ एवं संवैधानिक उपबन्ध-एक अध्ययन

गोपाल सिंह गौनिया*

शोध सारांश

भारतीय समाज का इतिहास लगभग पाँच सौ वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस दौरान सामाजिक जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में भारतीय समाज निर्माताओं ने मानव की बौद्धिक क्षमताओं द्वारा, केवल भौतिक जीवन से ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन से भी सम्बद्ध अनेक संस्थाओं का निर्माण किया व एक स्वस्थ समाज व्यवस्था को जन्म देने का श्रेय प्राप्त किया। भारतीय धर्म, दर्शन, कला, अर्थव्यवस्था, वर्ण और आश्रम, परिवार एवं विवाह ये और इसी प्रकार की कितनी ही अन्य संस्थाएँ हमारे सामाजिक इतिहास में महत्वपूर्ण प्रयोग कहे जा सकते हैं। परन्तु इसी 'सुजला शस्य श्यामला' भारतीय समाज में कालान्तर से 'बहिस्कृत' कर दिया गया गया। इसी वर्ग के एक भाग को अस्पृश्य या दलित कहकर भी पुकारा जा सकता है। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जाति–प्रथा के अन्तर्गत शूद्र जाति के एक बड़े भाग को 'अस्पृश्य' मानकर उन्हें समाज से एक प्रकार से बहिस्कृत कर दिया गया और उन पर अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक निर्योग्यताएँ लाद दी गई।

Keywords : संविधान, उपबंध, अनुसूचित जातियाँ, अस्पृश्य, अछूत, दलित, बहिस्कृत इत्यादि।

प्रस्तावना

भारतीय समाज में अनुसूचित जातियाँ वे हैं जिन्हें परम्परागत रूप से अस्पृश्य समझा जाता रहा है और अस्पृश्यता के आधार पर ये जातियाँ अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं की शिकार या पीड़ित रही हैं। और इसलिए अनेक समस्याओं से घिरी रही हैं और आज भी स्थिति काफी गम्भीर है। वर्तमान समय में संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के फलस्वरूप सरकार द्वारा बनाई गई सूची के अन्तर्गत जिन अनुसूचित जातियों को स्थान दिया गया है, उन्हें अस्पृश्य जातियाँ, अछूत, दलित, बहिस्कृत जातियाँ, हरिजन आदि शब्दों से सम्बोधित किया जाता रहा है।

''अस्पृश्य या अनुसूचित जातियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है ''दलित या अस्पृश्य जातियाँ वे हैं जो अनेक सामाजिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं का शिकार हैं इनमें से अनेक निर्योग्यताएँ उच्च जातियों द्वारा परम्परागत तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागू की गई हैं।''[1]

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आदेशों में अनुसूचित जातियों का विवरण दिया गया है और कहा गया है कि चूँकि ये लोग सदियों से अत्यन्त पिछड़े एवं गम्भीर समस्याओं से घिरे हैं, अतः इन वर्गों के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से उत्थान के लिए सरकार को विशेष प्रयास करना चाहिए।

सन् 1981 की जनगणना के अनुसार इन जातियों की कुल जनसंख्या 10,47,55,211 थी अर्थात भारत की कुल जनसंख्या का 15.8 प्रतिशत। 1991 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या बढ़कर 13,82,23,277 कुल जनसंख्या का 16.48 प्रतिशत हो गयी हैं।

2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 16,66,36,000 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 20,13,78,372 है। लेकिन वास्तव में इस संख्या से उन लोगों को अलग करना होगा जो इन जातियों या वर्गों के होते हुए भी आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से सम्पन्न हैं तथा सामाजिक उत्पीड़न के शिकार नहीं हैं। इस रूप में उन्हें दलितों की श्रेणी में रखना उचित नहीं हैं।[2]

संवैधानिक संरक्षण

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हरिजन के उत्थान के लिए किये गये प्रयत्नों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय उनके लिए संवैधानिक संरक्षण है। स्वतंत्र भारत के संविधान में उनकी अनेक निर्योग्याओं को दूर करने लिए निम्नलिखित नियम रखे गये हैं।

*शोध छात्र – समाजशास्त्र, एम.बी. राजकीय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, हल्द्वानी

अनुच्छेद 15 में

1. राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवश, जाति, लिंग, जन्म–स्थान अथवा उनमें किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
2. केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म–स्थान अथवा किसी के आधार पर कोई नागरिक–(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश (ख) साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुँओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम स्थानों के बारे में किसी भी नियोग्यता, प्रतिबन्ध या शर्त के अधीन न होगा।

अनुच्छेद 16

राज्यधीन नौकरी या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में समस्त नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म–स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जाएगा।

अनुच्छेद 17

अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और इनका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो कानून के अनुसार दण्डनीय होगा।

अनुच्छेद 29

राज्यनिधी द्वारा घोषित अथवा राज्यनिधी से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित न किया जायेगा।

अनुच्छेद 38

राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कार्यसाधन रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक–कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे।

अनुच्छेद 46

राज्य जनता के दुर्बलतम विभागों की, विशेषतः, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ सम्बंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय व सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।

अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए सामाजिक विधान

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के हितों के लिए निम्नलिखित कानून बनाये हैं।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955[3]

केन्द्रीय सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 को विस्तार पूर्वक लागू करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया है और कानून के रूप में 1 जून 1955 से लागू हुआ। इस अधिनियम की मुख्य धाराएँ निम्न प्रकार हैं।

धारा 3

1. प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक पूजा स्थान में प्रवेश करने की स्वतंत्रता होगी।
2. प्रत्येक व्यक्ति को किसी प्रकार की पूजा प्रार्थना या दूसरे धार्मिक संस्कार करने में स्वतंत्रत में स्वतंत्र होगा।
3. प्रत्येक व्यक्ति को धर्म सम्बंधी पवित्र नदी, तालाब आदि में नहाने या पानी लेने की स्वतंत्रता होगी।
4. इन नियमों का पालन न करने पर सरकार द्वारा दी गई कोई भी सहायता बन्द की जा सकती है या जमीन छीनी जा सकती है।

धारा 4

प्रत्येक व्यक्ति को

1. किसी दुकान, जलपान–गृह, होटलों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने और धर्मशालाओं या मुसाफिरखानों के बर्तनों तथा अन्य चीजों को लाने की स्वतंत्रता होगी।
2. किसी भी नदी, कुएँ, नल, घाट, शमसान या कब्रिस्तान के स्थानों को व्यवहार में लाने की स्वतंत्रता होगी।
3. साधारण जनता के लिए बनाई गई धर्मार्थ संस्थाओं के लाभ और सेवाओं को उपभोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।
4. किसी भी मुहल्ले में जमीन खरीदने, मकान बनवाने और रहने की स्वतंत्रता होगी।
5. किसी भी धर्मशाला, सराय आदि से लाभ उठाने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. किसी भी सामाजिक या धार्मिक संस्कार या प्रथा को अपनाने की स्वतंत्रता होगी।
7. किसी भी प्रकार के जेवर या अन्य चीजों को पहनने की स्वतंत्रता होगी।

धारा 5

1. प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सामाजिक चिकित्सा, औषधालय, शिक्षा संस्था या छात्रावास में प्रवेश करने का अधिकार होगा वहाँ प्रत्येक के साथ समान व्यवहार किया जायेगा।
2. अस्पृश्यता के आधार पर कोई भी दुकानदार किसी भी व्यक्ति को कोई चीज बेचने या सेवा करने से इन्कार नहीं कर सकता है।

धारा 7

इस कानून के किसी भी नियम को न मानने या अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाले को दण्ड दिया जायेगा। ये दण्ड 6 माह की

कैद या 500 रूपये के जुर्माने या दोनों ही हो सकते हैं।

नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, 1976

केन्द्रीय सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप अस्पृश्यता के अपराध के लिए कड़े दण्ड के प्रावधान का नया कानून 10 नवम्बर 1976 से लागू कर दिया गया है। अस्पृश्यता सामाजिक बुराई को संविधान के धारा 17 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 1955 में अस्पृश्यता अपराध कानून बनाया गया परन्तु समय–समयपर यह शिकायत होती रही है कि अस्पृश्यता को रोकने में यह कानून सक्षम नहीं है।

इस आलोचना को देखते हुए केन्द्र ने एल. इल्यापेरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने 1969 में अपनी रिर्पोट दी। नया कानून इस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है। इसे राष्ट्रपति ने 13 सितम्बर, 1976 को अपनी स्वीकृति दे दी थी।

नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, अस्पृश्यता अपराध कानून, 1955 में किए गए संशोधन से अस्तित्व में आया है। इसके अन्तर्गत अस्पृश्ता के अपराध के लिए दण्डित लोग संसद और विधानसभा के चुनाव में खड़े नहीं हो सकेंगे। अस्पृश्यता बरतने के अपराध में जुर्माना और जेल दोनों तरह की सजा की व्यवस्था की गई है।

पहली बार अपराध करने पर एक माह की कैद और 100 रूपये से लेकर 500 रूपये तक जुर्माना किया जा सकेगा। किन्तु दोबारा अपराध करने पर छह माह से एक वर्ष की कैद और 1000 रूपये तक जुर्माने की व्यवस्था है।

अस्पृश्यता के सभी अपराधों में पुलिस बिना शिकायत के कार्रवाई कर सकेगी किन्तु अभी तक वादी और प्रतिवादी को समझौता करके मामले को समाप्त करने की छूट थी, वह नए कानून में नहीं रहेगी। पहली बार यह प्रावधान किया गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि अस्पृश्यता के अपराध की जाँच के काम की जानबूझकर उपेक्षा करेगा तो उसे अपराध को प्रोत्साहन देने के आरोप में दण्डित किया जाएगा।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989[4]

भारत में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार या उत्पीड़न को रोकने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 भारतीय सरकार द्वारा पास किया गया। यह कानून एस.सी, एस.टी वर्ग के सम्मान, स्वाभिमान, उत्थान एवं उनके हितों की रक्षा के लिए 16 अगस्त 1989 को उपर्युक्त अधिनियम लागू किये गये। वास्तव में अछूत के रूप में दलित वर्ग का अस्तित्व समाज रचना की चरम विकृति का द्योतक है।

भारत सरकार ने दलितों पर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के आलोक में यह विधान पारित किया। इस अधिनियम में छुआछूत सम्बंधी अपराधों के विरूद्ध दण्ड में वृद्धि की गई है तथा दलितों पर अत्याचार के विरूद्ध कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराध संज्ञेय गैर जमानती और असुलहनीय होते हैं। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 से भारत में लागू हो गया।

यह अधिनियम उस व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और इस वर्ग के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करता है। अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार जो कोई भी यदि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हैं इस वर्ग के सदस्यों पर निम्नलिखित अत्याचार का अपराध करता है तो कानूनन वह दण्डनीय अपराध अपराध माना जायेगा।

1. अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्यों को जबरन अखाद्य या घृणाजनक (मल मूत्र इत्यादि) पदार्थ खिलाना या पिलाना।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के किसी सदस्य को शारीरिक चोट पहुँचाना या उनके घर के आस–पास या परिवार में उन्हें अपमानित करने या नीयत से कूड़ा–करकट, मल या मूत्र पशु का शव फेंक देगा।
3. अनुसूचित जाति, जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़ा उतारना या उसे नंगा करके उसके चेहरे पर पेंट पोत कर सार्वजनिक रूप से घुमाना या इसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करना जो मानव के सम्मान के विरूद्ध हो।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के भूमि पर से गैर–कानूनी ढंग से खेती कर लेना, खेती जोत लेना या उस भूमि पर कब्जा कर लेना।
5. अनुसूचित जाति, जनजाति के किसी सदस्य के भूमि पर गैर कानूनी ढंग से खेती कर लेना, खेती जोत लेना या उस भूमि पर कब्जा कर लेना।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को भीख मॉगने के लिए मजबूर करना या उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में रहने को विवश करना या फुसलाना।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को वोट (मतदान) नहीं देना या किसी खास उम्मीदार को मतदान के लिए मजबूर करना।
8. किसी लोक सेवक, (सरकारी कर्मचारीध्अधिकारी) को कोई झूठा या तुच्छ सूचना अथवा जानकारी देना और उसके विरूद्ध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति पहुँचाने या क्षुब्ध करने के लिए ऐसे लोक सेवक उसकी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना।
9. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य

को जानबूझकर जनता की नजर में जलील कर अपमानित करना, डराना।

10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी महिला सदस्य का अनादर करना उन्हें अपमानित करने की नीयत से शील भंग करने के लिए बल का प्रयोग करना।
11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी महिला या उसकी इच्छा के विरूद्ध या बलपूर्वक यौन शोषण करना।
12. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले जलाशय या जलस्त्रोतों को गंदा कर देना अथवा अनुपयोगी बना देना।
13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को किसी सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोकना, रूढ़िजन्य अधिकारों से वंचित करना या ऐसे स्थान पर जाने से रोकना जहाँ वह जा सकता है।
14. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान अथवा निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना या करवाना।

दण्ड का प्रावधान[5]

ऊपर वर्णित अत्याचार के अपराधों के लिए दोषी व्यक्ति छः माह से पाँच साल तक की सजा, अर्थदण्ड के साथ प्रावधान है। क्रूरतापूर्ण हत्या के अपराध के लिए मृत्युदण्ड की सजा है। अधिनियम की धारा 3 (2) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के खिलाफ झूठी गवाही देता है या गढ़ता है जिसका आशय किसी ऐसे अपराध में फँसाना है जिसकी सजा मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास जुर्माने सहित है और इस झूठे गढ़े हुए गवाही के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को फाँसी की सजा दी जाती है तो ऐसी झूठी गवाही देने वाले मृत्युदण्ड के भागी होंगे।

यदि वह मिथ्या साक्ष्य के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध कराता है जिसमें उससे अधिक है तो वह जुर्माना सात वर्ष की सजा से दण्डनीय होगा। आग अथवा विस्फोटक पदार्थ द्वारा किसी ऐसे मकान को नष्ट करता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतया, पूजा के स्थान के रूप में मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, वह आजीवन कारावास के साथ जुर्माने से दण्डनीय होगा।

लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह एक वर्ष से लेकर इस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा। अधिनियम की धारा 4 (कर्तव्यों की उपेक्षा के दण्ड) के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हैं, अगर वह जान–बूझकर इस अधिनियम के पालन करने में लापरवाही करता है तो वह दण्ड का भागी होगा। उसे छः माह से एक साल तक की सजा दी जा सकती है।

निष्कर्षत : हम कह सकते हैं कि सात दशकों के अनेक विकासात्मक उपायों ने अनुसूचित जाति की सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त की है। राजनीतिक सहभागिता के बढ़ने के कारण अनेक संवैधानिक संरक्षणों से यह जातीय समूह अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने में समर्थ रहा है। अनेक राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक क्रिया–कलाप को अनुसूचित जाति के सदस्यों के बिना नहीं कर सकते, निश्चित रूप से विकास इस जातीय समूह तक गया है लेकिन अभी भी अनेक सार्थक प्रयास इन की सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति को उच्च करने के लिए किये जाने की जरूरत है।

सन्दर्भ :–

1. मजूमदार डी. एन., 1958, रेसिस एण्ड कल्चतर ऑफ इण्डिया, बॉम्बे, पेज, 327
2. भारत, 2015, वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ प्रकाशन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2015 पेज, 26
3. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, अधिनियम संख्यांक 22, 1 सितम्बर, 1977 को यथाविद्यमान
4. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधियिम, 1989 का संख्याक 33
5. गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, द कांस्टिट्यूशन ऑफ इण्डिया दिल्ली, मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन, 1967